


120



114-18 में पारित आदेश
Entry 115

समक्ष :- अध्यक्ष महोदय राजस्व मण्डल ग्वालियर, केम्प भोपाल

नर्मदा प्रसाद आ० कृष्णा लोधी आयु करीब 45 वर्ष

निवासी-ग्राम बडोदियाकलॉ, तहसील व जिला-

होशंगाबाद मध्यप्रदेश

.....निगरानीकर्ता

//बनाम//

कमलसिंह आ० वलदेव प्रसाद लोधी

निगरानी - 46024/2018/होशंगाबाद

निवासी-ग्राम बडोदियाकलॉ, तहसील व जिला-

होशंगाबाद मध्यप्रदेश

.....उत्तरवादी

//निगरानी अन्तर्गत धारा 50 म०प्र०भू०रा०संहिता//

निगरानीकर्ता की ओर से विनय है कि :-



उक्त न्यायालय आयुक्त नर्मदा पुरम संभाग होशंगाबाद के न्यायालयीन प्रकरण क्रमांक-402/अपील/2017-18 में पारित आदेश दिनांक 08.05.2018 से दुखित एवं प्रभावित होकर, माननीय न्यायालय के समक्ष न्याय प्राप्त हेतु प्रस्तुत की जा रही है।

आवेदक अभिजात
श्री बलराम सिंह पटेल
द्वारा भोपाल केम्प
में प्रस्तुत।
25/7/18

न्यायालय राजस्व मण्डल मध्यप्रदेश-ग्वालियर

अनुवृत्ति आदेश पृष्ठ

प्रकरण क्रमांक निगरानी 4604/2018/होशंगाबाद/भू.रा.

स्थान तथा दिनांक	कार्यवाही तथा आदेश	पक्षकारों एवं अभिभाषकों आदि के हस्ताक्षर
29-5-2019	<p>आवेदक की ओर से कोई उपस्थित नहीं । अनावेदक की ओर से श्री आर.पी. यादव, अभिभाषक उपस्थित । आवेदक को तीन बार पुकार लगवाई गई, किन्तु आवेदक अथवा उनके अभिभाषक उपस्थित नहीं हुए । अतः प्रकरण आवेदक पक्ष की अनुपस्थिति के कारण अदम पैरवी में खारिज किया जाता है ।</p> <p></p>	<p> अध्यक्ष</p>